न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2297–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–5–16 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, नालछा तहसील धार प्रकरण कमांक 30/अ–27/2013–14.

जितेन्द्र कुमार पिता छोगालाल
निवासी ग्राम माण्डव
तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– गंगाराम पिता किशन
निवासी 66, जबरन कॉलौनी, धार
तहसील व जिला धार
2– ओमप्रकाश पिता छोगालाल
3– सुंदरबाई पति छोगालाल
4– नारायण पिता छोगालाल
निवासीगण ग्राम माण्डव
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक एवं
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, नालछा तहसील धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार धार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार, नालछा तहसील धार द्वारा प्रकरण कमांक 30/अ–27/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 की ओर से व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण तहसील न्यायालय में

प्रकरण स्थगित रखे जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 13–5–16 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बंटवारे के प्रकरण में आवेदक का हक है, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 178 के अंतर्गत हक का प्रश्न उन्मुत होने जाने से तहसील न्यायालय को कार्यवाही स्थगित करना चाहिए थी । यह भी कहा गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां हक का प्रश्न उन्मुत होता है, वहां कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिए । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता में यह प्रावधान है कि हक का प्रश्न उन्मुत होने की स्थिति में सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश ही अंतिम माना जायेगा । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद निरस्त होना मानकर, दस्तावेजों के विपरीत त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है, जबकि व्यवहार वाद कमांक 12ए/2014 में पारित आदेश दिनांक 15–10–2015 के विरूद्ध आवेदक की अपील लम्बित है ।

तर्कों के समर्थन में 2012 आर.एन. 316, 1976 आर.एन. 261 एवं 1976 आर.एन. 116 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र व्यवहार न्यायालय में अपील लम्बित होने के आधार पर तहसील न्यायालय में कार्यवाही स्थगित किया जाना उचित नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवदेक एवं अनावेदक कमांक 2 की ओर से व्यवहार न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने से तहसील न्यायालय में कार्यवाही स्थगित रखे जाने सम्बन्धी प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्क सुनने के उपरांत व्यवहार न्यायालय से प्रकरण में कोई स्थगन

आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण उक्त आवेदन पत्र निरस्त कर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही को स्थगित नहीं करने में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, नालछा तहसील धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर